



# नवसर्जन संस्कृति

## अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

# नवसर्जन संस्कृति

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskruti.com

**उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त लिख, जमानत पर योक के साथ कुलदीप सेंगर को जेल में दरवने का आदेश**

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। शोषण अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया कि सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। सीबीआई द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत आदेश को स्थगित किया, बल्कि सेंगर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब भी दाखिल करने को कहा है। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट संकेत गया है कि इस संवेदनशील और गंभीर अपराध के मामले में न्यायपालिका किसी भी तरह की छिलाई बरतने के मुद्दे में नहीं

है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की गंभीरता को विस्तार से खाली उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ हुआ अपराध न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानून और समाज दोनों के लिए बेहद गंभीर संदेश देता है। उस समय पीड़िता नावालिंग थी और उस पर अपने ही क्षेत्र के प्रभावशाली जनप्रतिनिधि द्वारा यौन शोषण का आरोप समाने आया था। मेहता ने कहा कि पॉक्सो कानून का उद्देश्य ही ऐसे मामलों में कठोरता बरतना है, ताकि पद, प्रभाव और रसूख के बल पर कोई आरोपी कानून से बच न सके। उन्होंने यह भी दिलील दी कि यदि कोई पुलिसकर्मी, सेना का अधिकारी या किसी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो उसे 'एप्रेवेटेड सेक्शनल असॉल्ट' की श्रेणी में रखा जाता है, और यही सिद्धांत ऐसे न्यायिक प्रतिनिधियों पर भी लागू होना चाहिए, जिनके पास जनता का भरोसा और सत्ता दोनों होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या यह मामला साधारण नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई आरोपी जेल से बाहर आ चुका होता तो उसकी स्वतंत्रता पर विचार किया जा सकता था, लेकिन यहां स्थिति अलग है क्योंकि कुलदीप सेंगरा पहले से ही एक अन्य मामले में सजा काटा रहा है। ऐसे में जमानत पर रोक लगाना न्यायेचित प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि जब तक पूरे मामले की गहन समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली हाईकोर्ट

और उसका परिवार लगातार न्याय के लिए भरकता रहा। हालात इतने बिंगड़े कि वर्ष 2018 में पीड़िता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद यह मामला देशभर में सुर्खियों में आया और अंततः सीबीआई को सौंपा गया। जांच के बाद सेंगर के खिलाफ पांक्सो अधिनियम और आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। साल 2019 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज के विश्वास को तोड़ने वाला है और इसके बाद सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली

हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाल ही में हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित करते हुए सर्शत जमानत दे दी थी। शर्तों में यह भी शामिल था कि सेंगर पीड़िता के गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और किसी भी तरह से गवाहों या पीड़िता पर दबाव नहीं बनाएगा। हालांकि, सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है और इससे पीड़िता की सुरक्षा तथा न्याय की भावना प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और जमानत आदेश पर रोक लगा दी। यह भी उल्लेखनीय है कि कलदीप सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इसी वजह से वह अभी भी जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि निकट भविष्य में उसकी रिहाई की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख एक बार फिर यह संदेश देता है कि यौन अपराधों, खासकर नाबालिंगों से जुड़े मामलों में न्यायपालिका किसी भी तरह की नरमी के पक्ष में नहीं है। प्रभावशाली पद और राजनीतिक रसूख कानून के आगे ढाल नहीं बन सकते। अदालत का यह कदम न सिर्फ़ पीड़िता के लिए न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है, बल्कि समाज को यह भरोसा भी दिलाता है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त कानून का सामना करना ही पड़ेगा।

**भारत की सैन्य तैयारी से बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन, 79 हजार करोड़ की हथियार खरीद को मंजूरी से चीन-पाकिस्तान पर बढ़ेगा दबाव**

A group of Indian Army soldiers in camouflage uniforms marching in formation during a parade. They are wearing caps and carrying rifles. The background shows a clear sky.

नने ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदु हासागर क्षेत्र में चीन की द्वितीय गतिविधियों के बीच रत अपनी समुद्री ताकत लगातार मजबूत कर रहा है। बोलार्ड पुल टास्मानिया में मंजूरी से बद्रगाहों में जहाजों और पनडुब्बियों आवाजाही और सुरक्षा दरत होगी। हाई प्रोत्साहित रेडियो से नौसेना की धैर्यक सुरक्षित और प्रभावी वापावा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग लीज पर लेने का फैसला में निगरानी, समुद्री सुरक्षा तंत्री जुटाने की भारत की देगा।

त बढ़ाने के लिए भी योंगों को मंजूरी दी गई है। एफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग की सुरक्षा और संचालन वापावा, खासकर खराब मौसम की स्थितियों में। Astra की स्वीकृति से वायुसेना इमन विमानों को निशाना अधिक ताकत मिलेगी। एक विमान के लिए फल मिशन सिम्युलेटर की मंजूरी से पायलटों द्विंग और भी यथार्थपक होगी, जबकि SPICE-1000 गाइडेंस किट से स्टीम्स हमलों की क्षमता बढ़ेगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसले केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह भारत की समग्र रणनीतिक सेवा को दर्शाता है। एक तरफ जहां इससे तीव्र सेनाओं की मारक क्षमता, निगरानी और आधुनिक युद्ध क्षमताओं में बढ़ा सुधार होगा वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी बल मिलेगा, वयोंकि इनमें से कठोर प्रणालियां स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। यह मंजूरी ऐसे समय में आई है, जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक हालात तेज़ से बदल रहे हैं और भारत अपनी भूमिका वाले एक मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है।

कुल मिलाकर, 79 हजार करोड़ रुपये वाले यह रक्षा खरीद न केवल भारत की सेना तैयारियों को नई धारा देगी, बल्कि यह एक साफ संकेत है कि देश अपनी सुरक्षा किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के लिए यह फैसला निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है, वयोंकि भारत अब हर मोर्चे पर पहले से कानूनी ज्यादा मजबूत और सतर्क दिखाई दे रहा है।

(जीएनएस)। देहरादून। उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र अंजेल चक्रमा की नस्लीय हमले में हुई मौत ने एक बार फिर देश में मौजूद उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। केवल उत्तर-पूर्वी पहचान के कारण अंजेल को न सिर्फ अपमानजनक नस्लीय गालियों का सामना करना पड़ा, बल्कि चाकू से किए गए हमले ने उनकी जान ले ली। 9 दिसंबर को सेलाकुर्इ इलाके में हुई यह घटना 14 दिनों तक आईसीयू में चले जीवन-मरण के संघर्ष के बाद 27 दिसंबर को एक त्रासदी में बदल गई। इस मौत ने न सिर्फ एक होनहार छात्र का भविष्य छीना, बल्कि समाज और व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। घटना के सामने आने के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इसे महज आपारथिक बारदात नहीं, बल्कि नस्लीय धृणा से प्रेरित हिंसा करार दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अंजेल पढ़ाई के उद्देश्य से देहरादून आए थे, लेकिन उन्हें यहां अपनी पहचान के कारण निशाना बनाया गया। परिवार और समर्थकों की मांग से कड़ी सजा दी जा किया जाए कि भारतीय अपनी नस्लीय पहचान हिंसा का शिकार नहीं। इस मामले ने केवल स्तर पर भी नई बातें चक्रमा की मौत के बाद एक जननित याचिका जिसमें उत्तर-पूर्वी खिलाफ नस्लीय 'हेट क्राइम' के रूप की मांग की गई है अनूप प्रकाश अवधि याचिका में कहा गया विविधता वाले देश पर की जाने वाली न सिर्फ सामाजिक बल्कि संविधान द्वारा का भी सीधी उल्लंघन याचिका में इस घटना का दिया गया है कि शब्द सिर्फ अपमानित व्यक्ति का उत्तीर्ण बहिष्कार को बढ़ावा देता है। इसे संविधान वाली समाजतांत्रिकी के अधिकारों का उत्तराधिकार दिया जाता है।

है कि दोषियों को कड़ी गाए और यह सुनिश्चित व्यवध में किसी और को हचान के कारण ऐसी बात होना पड़े। अन्ननी और संवैधानिक इस छेड़ दी है। अंजेल काम बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दायर की गई है, राज्यों के नागरिकों के अपमान और हिंसा को रूप में अलग श्रेणी देने सुप्रीम कोर्ट के वकील स्थी द्वारा दाखिल इस दायर है कि भारत जैसे देश में नस्लीय आधार वाली गलियाँ और हमले सौहार्द को तोड़ते हैं, यह प्रदत्त मूल अधिकारों वन हैं। बात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए”, “चीनी” जैसे अननजनक नहीं, बल्कि न और सामाजिक दाने वाले हैं, जो कई दाना का कारण बन जाते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत कार. अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति और गरिमा के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब तक नस्लीय अपमान को गंभीर अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि जब तक संसद द्वारा हेट क्राइम से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं बनाया जाता, तब तक अदालत अंतरिम दिशानिर्देश जारी करे, ताकि नस्लीय हिंसा और अपमान से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे विशेष पुलिस इकाइयों और स्थायी नोडल एजेंसियों का गठन करें, जहां ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज हो सके और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। इस याचिका में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों, खासकर उत्तर-पूर्व से आने वाले युवाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना सरकार और संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संवेदनशीलता विकसित हो सके। अंजेल चकमा की मौत केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि यह उस सामाजिक मानसिकता का आईना है, जिसमें अब भी रंग, चेहरे और बोली के आधार पर भेदभाव जिंदा है। यह घटना बताती है कि कानून और सख्त संदेश के बिना नस्लीय हिंसा पर लगाम लगाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका अब उम्मीद की एक किरण के रूप में देखी जा रही है, जिससे न सिर्फ अंजेल को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि देश में नस्लीय धृष्टि के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा खड़ा होने की राह भी खुल सकती है। आज सवाल केवल एक छात्र की मौत का नहीं है, बल्कि यह तय करने का है कि क्या भारत अपनी विविधता को सच में सम्मान देने के लिए तैयार है। यदि इस घटना से सबक लेकर ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो शायद आने वाले समय में किसी और अंजेल को अपनी पहचान की कीमत जान देकर नहीं चकानी पड़ेगी।





